

आयकर आयुक्त बनाम श्री सरूप कृष्ण  
(जस्टिस डी.एस.तेवतिया)

**न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया के समक्ष**

**आयकर आयुक्त - आवेदक**

**बनाम**

**श्री सरूप कृष्ण - प्रतिवादी**

**1979 का आयकर संदर्भ संख्या 118**

**14 जनवरी 1985**

आयकर अधिनियम (1961 का XLIII) - धारा 15 से 17 - निर्धारिती सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त कर रहा है - ऐसे निर्धारिती जो 'वेतन' शीर्षक के तहत कर योग्य पेंशन से मानक कटौती का दावा कर रहे हैं - ऐसी कटौतियाँ - चाहे स्वीकार्य हों।

यह माना गया कि विधानमंडल ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 के प्रयोजनों के लिए पेंशन को वेतन घोषित किया है। कोई व्यक्ति केवल तभी वेतन प्राप्त कर सकता है जब वह नियोजित हो या कोई रोजगार में हो और इसलिए डीमिंग प्रावधान के आधार पर अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, ऐसे व्यक्ति को रोजगार में माना जाएगा और इस उद्देश्य के लिए यह जांचना आवश्यक नहीं है कि वे कौन से कारण हैं जिनके लिए कोई पेंशन प्राप्त करने का हकदार है यानी क्या पेंशन अतीत का आस्थगित भुगतान है रोजगार या कोई अन्य चरित्र है। धारा 16 और 17 के प्रावधानों के प्रयोजन के लिए, यह पर्याप्त है कि दी गई राशि निर्विवाद रूप से पेंशन है। धारा 15 और 16 के प्रयोजनों के लिए पेंशन को वेतन घोषित करने का एकमात्र कारण निर्धारिती को अधिनियम की धारा 16 द्वारा अनुमत कटौती का दावा करने में सक्षम बनाना है क्योंकि विधानमंडल को पता था कि एक पेंशनभोगी को अपने वेतन को वापस पाने में कुछ खर्च करने की संभावना है। पेंशन, यदि पेंशनभोगी उस स्थान से दूर रह रहा हो जहां से पेंशन एकत्र की जानी है। जैसे कि एक बार यह माना जाता है कि पेंशन को अधिनियम की धारा 15 और 16 के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में माना जाना है, तो निर्धारिती अधिनियम की धारा 16 (i) के तहत उपलब्ध मानक कटौती का दावा करने का हकदार होगा।

(अनुच्छेद 13 और 19)

आईटीए से उत्पन्न कानून के निम्नलिखित प्रश्न पर माननीय उच्च न्यायालय की राय के लिए आयकर अपीलिय न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ बेंच द्वारा बनाए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 256(1) के तहत संदर्भ। 1978-79 के आदेश क्रमांक 15 दिनांक 10 अगस्त। 1978 और आर.ए. निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए 1978-79 का क्रमांक 99:-

*“ क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, न्यायाधिकरण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16(i) के तहत उस मानक कटौती को मानने में सही था, वेतन से कटौती से निपटने में भी उपलब्ध है पेंशन से प्राप्त आय के संबंध में जिस पर 'वेतन' मद के तहत कर लगाया जाता है?”*

अपीलकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक भान (ए.के. मित्तल, उनके साथ अधिवक्ता)।

एम. एल. सरीन. प्रतिवादी के वकील डी. खन्ना के साथ वकील।

**निर्णय**

न्यायमूर्ति डी. एस. तेवतिया (मौखिक)-

- 1) निर्धारिती, एक पेंशनभोगी, ने रुपये की कटौती की मांग की। 2085 में आयकर अधिनियम, 1961 (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 16 के तहत मानक कटौती होने का दावा करते

आयकर आयुक्त बनाम श्री सरूप कृष्ण  
(जस्टिस डी.एस.तेवतिया)

हुए, उसकी पेंशन राशि से रु. निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए 10850। आयकर अधिकारी ने कटौती से इनकार कर दिया था। हालाँकि, अपीलिय सहायक आयुक्त ने कटौती की अनुमति दी, जिसे आयकर न्यायाधिकरण ने कायम रखा। ट्रिब्यूनल ने, राजस्व के कहने पर, इस न्यायालय की राय के लिए निम्नलिखित प्रश्न भेजा: -

"क्या, तथ्यों और मामले की परिस्थितियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 (i) के तहत उस मानक कटौती को मानने में सही था, वेतन से कटौती से निपटने के संबंध में भी उपलब्ध है पेंशन से प्राप्त आय जिस पर 'वेतन' मद के तहत कर लगाया जाता है?:"

- 2) पहले चरण में विचाराधीन आयकर संदर्भ स्वर्गीय बी.एस. ढिल्लों, जे. और एस.पी. गोयल, जे. की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। दोनों न्यायाधीशों ने एक-दूसरे से असहमति जताते हुए अलग-अलग राय लिखी। इसके बाद कागजातों को सामने रखा गया। माननीय मुख्य न्यायाधीश अधिनियम की धारा: 259 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और इसी तरह यह मामला मेरे सामने है।
- 3) निर्धारिती ने इस आधार पर कटौती के लिए अपना दावा खारिज कर दिया कि उसकी पेंशन राशि अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों के आधार पर वेतन बनती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ धारा 15/16 के प्रयोजनों के लिए पेंशन को वेतन घोषित किया गया है, जो वेतन से अन्य मानक कटौती की अनुमति देता है।
- 4) न्यायाधीश ढिल्लों ने तर्क दिया कि पेंशन रोजगार के बहुत महत्वपूर्ण नियमों और शर्तों में से एक थी। एक कर्मचारी द्वारा अपेक्षित सेवा अवधि प्रदान करके पेंशन अर्जित की जाती थी और पेंशन की प्राप्ति रोजगार की घटनाओं में से एक थी। दूसरे शब्दों में, पेंशन की प्राप्ति को आसानी से किसी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए पारिश्रमिक का आस्थगित भुगतान कहा जा सकता है। अपनी नियुक्ति के नियमों और शर्तों के मद्देनजर, कर्मचारी को निर्दिष्ट अवधि के लिए वेतन मिलता है और उसके बाद जब वह सेवानिवृत्त होता है, तो उसे उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले रोजगार के नियमों और शर्तों के हिस्से के रूप में पेंशन प्राप्त होती है। नियोक्ता। यही कारण है कि विधानमंडल ने अधिनियम की धारा 17 में यह प्रावधान करना उचित समझा कि धारा 15 और 16 के प्रयोजनों के लिए वेतन में कोई वार्षिकी या पेंशन शामिल होगी। विधानमंडल ने आय को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जिसके संबंध में प्रावधान- अधिनियम की धारा 14 के तहत किया गया है। 'वेतन' किसके प्रमुखों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है आय. वास्तव में, किसी भी कटौती की अनुमति देने से पहले आय को किसी दिए गए शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिए। वेतन के संबंध में अधिनियम की धारा 15, 16 एवं 17 में प्रावधान किये गये हैं। तुलना के माध्यम से, यह बताया गया कि प्रतिभूतियों पर ब्याज, धारा 18 से 21 के तहत निपटाया गया था और धारा 19 और 20 में ऐसी आय से कटौती का प्रावधान किया गया था। गृह संपत्ति से आय को धारा 22 से 27 के तहत निपटाया गया ^ धारा 41 और 44-बी के तहत पेशे से व्यवसाय के लाभ और लाभ, धारा 45 के तहत पूंजीगत लाभ। 55 और धारा 56 से 59 के तहत अन्य स्रोतों से आय। विद्वान न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि दिए गए मूल्यांकन वर्ष के लिए कर्मचारी के रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय का वास्तविक व्यय आवश्यक नहीं था, यानी कर्मचारी को नहीं करना था। साबित करें कि उसने वास्तव में अपने रोजगार के लिए कोई आकस्मिक व्यय किया है। उक्त कटौती का दावा करने के

लिए केवल एक बात साबित करना आवश्यक था कि जिस आय से कटौती की मांग की गई थी वह वेतन था। विद्वान न्यायाधीश ने दिग्ग चंद्र संगमा बनाम असम राज्य और अन्य ए.आई.आर. का हवाला दिया। 1978 एस.सी. 17 और उसमें दिए गए सिद्धांत इस आशय के हैं कि 'कानून की व्याख्या करते समय किसी भी शब्द को अनावश्यक या अधिशेष नहीं माना जाना चाहिए, और फिर देखा गया कि यदि धारा 16 के खंड (i) के तहत प्रदान की गई कटौती की अनुमति पेंशनभोगी को नहीं दी गई थी, तो ' धारा 17 के प्रावधान जहां यह घोषित किया गया है कि पेंशन वेतन है, अप्रासंगिक हो जाएगी और आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई उद्देश्य पूरा नहीं करेगी। हारमोनियस निर्माण के नियम पर भरोसा करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने 'निर्धारिती के रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में' अभिव्यक्ति को पढ़ने की कोशिश की, जिसका अर्थ 'निर्धारिती के पिछले या वर्तमान रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय के संबंध में' है।

- 5) दूसरी ओर, न्यायमूर्ति गोयल ने इस तथ्य पर जोर दिया कि जब तक निर्धारिती को वर्तमान रोजगार में नहीं माना जा सकता, वह अधिनियम की धारा 16 (i) के तहत कटौती का दावा करने का हकदार नहीं हो सकता। उनके अनुसार, किसी पेंशनभोगी को वर्तमान रोजगार में नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त दृष्टिकोण के लिए भरोसा सी. राजगोपालाचारी बनाम कॉर्पोरेशन ऑफ मंत्रास और अन्य 53 आई.टी.आर. 454 पर रखा गया था।
- 6) महाप्रबंधक दक्षिणी रेलवे और अन्य बनाम रंगाचारी ए.आई.आर.1962 एस सी 36 का अनुपात जिस पर न्यायमूर्ति ढिल्लों ने भरोसा किया था, उसे यह देखकर अलग किया गया कि उक्त प्राधिकारी ने इस निष्कर्ष को उचित नहीं ठहराया कि पेंशनभोगी होने की स्थिति नियोजित होने की स्थिति है। विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि इस निर्णय के अनुसार पेंशन का अधिकार "रोजगार से संबंधित मामले" शब्दों के अंतर्गत आएगा, इसलिए नहीं कि यह वास्तविक रोजगार से संबंधित है, बल्कि इसलिए कि यह रोजगार से जुड़ा मामला है और सीधे तौर पर इससे जुड़ा है। पिछला रोजगार. इस विवाद से निपटते समय कि यदि अधिनियम की धारा 16 (i) के तहत पेंशन से कटौती की अनुमति नहीं दी जानी थी तो धारा 16 के प्रयोजनों के लिए पेंशन को 'वेतन' क्यों घोषित किया गया था, विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिस्थापन से पहले वर्तमान खंड (i) में, 'वेतन' शब्द में धारा 16 के प्रयोजनों के लिए पिछले नियोक्ता से निर्धारिती द्वारा प्राप्त वार्षिकी या पेंशन शामिल है, कि पेंशन के संबंध में धारा 16 के तहत ऐसे निर्धारिती को कोई कटौती स्वीकार्य नहीं थी या अपने पिछले नियोक्ता से वार्षिकी और एकमात्र संभावित उद्देश्य जो वह सोच सकता था वह यह प्रतीत होता है कि कानून के निर्माताओं का इरादा इतने व्यापक आयाम के वेतन की परिभाषा बनाना था ताकि किसी व्यक्ति द्वारा उसके दौरान या उसके बाद प्राप्त सभी लाभों को शामिल किया जा सके। रोजगार के दौरान, कटौती का दावा करने के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त नहीं था कि धारा 16 के प्रयोजनों के लिए धारा 17 में पेंशन को वेतन घोषित किया गया था, लेकिन यह आगे दिखाया जाना था कि राशि खर्च की गई थी निर्धारिती, अपने रोजगार से संबंधित मामलों पर, जैसा कि इसके संशोधन से पहले धारा 16 के चार खंडों में शामिल है; संशोधन के बाद, मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा विस्तृत जांच से बचने के लिए उक्त चार खंडों को एक व्यापक खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, और वह धारा के खंड (i) को अधिनियमित करते समय विधानमंडल के किसी भी इरादे को बताने में असमर्थ थे। 16, इसका उद्देश्य एक पेंशनभोगी को कटौती का लाभ केवल इसलिए देना था क्योंकि निर्धारिती द्वारा प्राप्त पेंशन की राशि को अधिनियम की धारा 15 और 16 के प्रयोजनों के लिए धारा 17 के प्रावधानों के आधार पर वेतन माना जाता था। विद्वान न्यायाधीश ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि यदि निर्धारिती की याचिका स्वीकार कर ली गई तो धारा 16 के खंड (i) में होने वाले निर्धारिती के रोजगार के लिए प्रासंगिक व्यय के संबंध में अभिव्यक्ति को मात्र अधिशेष बना दिया जाएगा और ऐसी व्याख्या



17. धारा 15 और 16 और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, -

(1) 'वेतन' में शामिल हैं: -

(i) मजदूरी;

(ii) कोई वार्षिकी-या पेंशन;

9) किसी कानून में किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय, न्यायालय को कल्पित स्थिति या तथ्य से उत्पन्न होने वाले परिणामों को भी वास्तविक और स्वाभाविक मानकर इसे तार्किक निष्कर्ष पर ले जाकर पूर्ण प्रभाव देना होता है, जब तक कि ऐसी व्याख्या न हो। बेतुके नतीजों के लिए इस संबंध में, ईस्ट एंड डवेलिंग कंपनी लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल (1951) 2 ऑल इंग्लैंड लॉ रिपोर्ट्स 587 से बिशपस्टोन के लॉर्ड एक्विथ की निम्नलिखित टिप्पणियों को आसानी से याद किया जा सकता है:—

“यदि किसी को मामलों की एक काल्पनिक सूची को वास्तविक मानने के लिए बाध्य किया जाता है, तो उसे निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए, जब तक कि उसे ऐसा करने से प्रतिबंधित न किया गया हो। उन परिणामों और घटनाओं की भी वास्तविक रूप से कल्पना करें, जो - यदि मामलों की कथित स्थिति वास्तव में अस्तित्व में थी, तो अनिवार्य रूप से उससे उत्पन्न हुई होगी या उसके साथ होगी।”

10) गुरुपाद खंडप्पा मगदुम बनाम हीराबाई खंडप्पा मगदुम और अन्य ए.आई.आर. में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य 1978 एस.सी. 123 उन्हीं शब्दों में कानून प्रतिपादित किया।

11) के. वेणुगोपाल बनाम संपदा शुल्क नियंत्रक (1983) 143 आई.टी.आर.988 मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने भी इसी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति दी है।

12) विधानमंडल को एक मान्य प्रावधान लागू करने का अधिकार है। एक निश्चित कानून. यह यहां तक कह सकता है कि एक पुरुष को एक महिला माना जाएगा या एक महिला को कुछ उद्देश्यों के लिए एक पुरुष माना जाएगा और जब यह अधिनियमित हो जाता है, तो यह अदालतों के लिए खुला नहीं है कि वह किसी पुरुष के विभिन्न गुणों की तलाश शुरू कर दे। या एक महिला यह देखने के लिए कि कोई पुरुष है या महिला। न्यायालय को दिए गए उद्देश्य के लिए विधानमंडल के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। जैविक या भौतिक वास्तविकताएँ कोई भी हो सकती हैं।

न्यायमूर्ति गोयल ने जो विचार व्यक्त किया है वह दो परिस्थितियों से प्रभावित प्रतीत होता है - (i) कि जब तक एक निर्धारिती को वर्तमान रोजगार में नहीं माना जाता है, जो कि एक पेंशनभोगी नहीं है, वह उस प्रकार की कटौती का हकदार नहीं होगा जो प्रतिनिधित्व करता है उसके रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय की राशि, और (ii) कि संशोधन से पहले निर्धारित सीमा के भीतर उक्त व्यय दावा योग्य था यदि निर्धारिती ने दी गई राशि का वास्तविक खर्च साबित कर दिया हो। यदि कोई व्यक्ति, दिए गए मूल्यांकन वर्ष के लिए, रोजगार में नहीं है, तो वह अपने रोजगार के संबंध

में वास्तविक राशि खर्च करने को कैसे साबित करेगा। दूसरे शब्दों में, न्यायमूर्ति गोयल के अनुसार, उपरोक्त दो परिस्थितियाँ पेंशनभोगी-निर्धारिती के लिए दी गई कटौती का दावा करने के रास्ते में दो बाधाएँ पैदा करती हैं।

- 13) जहां तक पहली बाधा का सवाल है, यह इस तथ्य से आसानी से ध्वस्त हो जाती है कि विधानमंडल ने धारा 16 के प्रयोजनों के लिए पेंशन को वेतन घोषित कर दिया है। कोई व्यक्ति वेतन केवल तभी प्राप्त कर सकता है जब वह कार्यरत हो या रोजगार में हो। और इसलिए प्रावधान के आधार पर उसे रोजगार में माना जाएगा और इस उद्देश्य के लिए यह जांचना आवश्यक नहीं है कि वे कौन से कारण हैं जिनके लिए कोई पेंशन प्राप्त करने का हकदार है, अर्थात् क्या पेंशन आस्थगित है पिछले रोजगार का भुगतान या कुछ अन्य चरित्र है। धारा 16 और 17 के प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, यह पर्याप्त है कि दी गई राशि निर्विवाद रूप से पेंशन है। एक बार जब यह कायम हो जाता है या उस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं होता है, तो पेंशन को अधिनियम की धारा 15 और 16 के प्रयोजनों के लिए वेतन के रूप में माना जाएगा।
- 14) जहां तक दूसरी बाधा का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि यह कोई बाधा नहीं है। भले ही असेसमेंट ईयर एक से भी क्यों न हो जिसमें धारा 16 का एक असंशोधित प्रावधान लागू है, पेंशनभोगी एक राशि की कटौती का हकदार होगा यदि पेंशनभोगी यह स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है कि दी गई राशि उसके द्वारा अपनी पेंशन एकत्र करने के प्रयोजनों के लिए खर्च की गई थी। मान लीजिए कि एक पेंशनभोगी बंबई में रह रहा है और उसे अपनी पेंशन चंडीगढ़ से प्राप्त करनी है। चूंकि माना जाता है कि पेंशनभोगी के घर पर पेंशन कभी वितरित नहीं की जाती है; मजबूरन उसे यात्रा में अत्यधिक व्यय करना पड़ेगा। डीमिंग प्रावधान के आधार पर, उसे रोजगार में माना जाएगा और उसकी पेंशन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए व्यय को उसके रोजगार के लिए आकस्मिक माना जाएगा। वर्तमान मामला वह है जहां काल्पनिकता उतनी दूर की कौड़ी भी नहीं है जितनी उस मामले में जहां विधायिका को किसी दिए गए उद्देश्य के लिए एक पुरुष को एक महिला या एक महिला को एक पुरुष घोषित करना था, या कुछ ऐसी असंभव स्थिति, जैसे पेंशनभोगी का रोजगार की स्थिति से कुछ संबंध जरूर होता है, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों न हो।
- 15) रंगाचारी के मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने 'रोजगार से संबंधित मामलों' की व्याख्या करते हुए घोषित किया कि रोजगार से पहले और बाद में रोजगार से संबंधित मामले जो रोजगार के भाग के लिए आकस्मिक हैं ऐसे रोजगार की शर्तों के बारे में।
- 16) जहां तक सी. राजगोपालाचारी के मामले (सुप्रा) के अनुपात का सवाल है, जिस पर गोयल, जे. ने भरोसा किया था कि 'पेंशनभोगी होने की स्थिति नियोजित होने की स्थिति नहीं है, यह हो सकती है' देखा गया कि यह एक ऐसा मामला था जिसमें व्याख्या के लिए सवाल यह उठा था कि क्या संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची ॥ में प्रविष्टि 60, पेशा कर लगाने वाले कानून को लागू करने के लिए अधिकृत है।' उस मामले में उनके आधिपत्य ने माना कि एक पेंशनभोगी रोजगार में नहीं है, क्योंकि प्रविष्टि 60 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'रोजगार' केवल वर्तमान रोजगार को संदर्भित करेगी और एक पेंशनभोगी वर्तमान रोजगार में नहीं है।

आयकर आयुक्त बनाम श्री सरूप कृष्ण  
(जस्टिस डी.एस.तेवतिया)

- 17) इस तथ्य के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक पेंशनभोगी वास्तव में वर्तमान रोजगार की स्थिति में नहीं है जब तक कि विधायिका उसे कुछ उद्देश्यों के लिए ऐसा घोषित न करे। अतः उपरोक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं होगा। आयकर अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विधानमंडल ने पेंशन को वेतन माना है। वेतन उस व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है जो वर्तमान रोजगार में है और इसलिए पेंशनभोगी को अधिनियम की धारा 16(1) के प्रयोजनों के लिए वर्तमान रोजगार में विचाराधीन प्रावधान के आधार पर माना जाना चाहिए।
- 18) राजस्व की ओर से कोई प्रशंसनीय तर्क सामने नहीं आ रहा है, न ही विद्वान न्यायाधीश द्वारा निर्धारिती की इस दलील का खंडन करने के लिए कोई तर्क दिया गया है कि क्या पेंशन को धारा 16 (i) के प्रयोजन के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।, तो फिर धारा 15 और 16 के प्रयोजनों के लिए धारा 17 में पेंशन को वेतन घोषित करना क्यों आवश्यक था।
- 19) मेरे विचार में धारा 15 और 16 के प्रयोजनों के लिए पेंशन को वेतन घोषित करने का एकमात्र कारण निर्धारिती को धारा 16 द्वारा अनुमत कटौती का दावा करने में सक्षम बनाना है, क्योंकि विधानमंडल को पता था कि, एक पेंशनभोगी को कुछ खर्च होने की संभावना थी यदि वह उस स्थान से दूर रह रहा है जहां से उसे अपनी पेंशन प्राप्त करनी है, तो उसकी पेंशन प्राप्त करने में होने वाला व्यय।
- 20) 1980 के वित्त अधिनियम के परिणामस्वरूप, 'रोजगार के लिए आकस्मिक व्यय' शब्द हटा दिए गए हैं। इसका मतलब है कि आकलन वर्ष 1982-83 के लिए वेतनभोगी लोगों को आकस्मिक व्यय या रोजगार के संबंध में दी गई राशि की कटौती का दावा नहीं करना होगा। दी गई राशि ऐसे व्यक्ति को सीधे दी जाएगी।
- 21) राजस्व परामर्शदाता श्री अशोक भान ने मेरा ध्यान वित्त मंत्री के भाषण के निम्नलिखित अंश की ओर आकर्षित किया:-
- “वर्तमान में, पेंशनभोगियों के मामले में वेतन आय की गणना में मानक कटौती उपलब्ध नहीं है। पेंशनभोगियों को कुछ राहत देने की दृष्टि से, जो कीमतों में वृद्धि से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, मैं उनके मामलों में मानक कटौती का लाभ भी बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं।“
- और आग्रह किया कि उक्त भाषण से यह स्पष्ट हो गया कि इससे पहले पेंशनभोगी धारा 16 के खंड (i) के संदर्भ में मानक कटौती के हकदार नहीं थे।
- 22) मेरे विचार में उपरोक्त भाषण केवल कानून की विभागीय-मानसिक व्याख्या को दर्शाता है जिसे विभाग ने अपने पदाधिकारियों को प्रसारित किया था, और नहीं, जबकि वास्तव में पूरे देश में आयकर न्यायाधिकरण कुल मिलाकर उस व्याख्या से असहमत थे। और कटौतियों की अनुमति दे रहे थे और किसी भी उच्च न्यायालय का कोई निर्णय मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया था, जिसमें यह विचार किया गया हो कि इस प्रकार की कटौतियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वास्तव में दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों ने बार में कहा है कि। उनकी जानकारी में अब तक किसी भी उच्च न्यायालय में पेंशनभोगियों या राजस्व के पक्ष में कोई मामला तय नहीं हुआ है।

आयकर आयुक्त बनाम श्री सरूप कृष्ण  
(जस्टिस डी.एस.तेवतिया)

- 23) जो दृष्टिकोण मैंने सम्मान के साथ अपनाया है, उसे आयकर आयुक्त बनाम के. रमैया (1980) 126 आई.टी.आर. मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले से समर्थन मिलता है। 638. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 की धारा 2 के प्रावधानों और उसकी अनुसूची के अनुच्छेद v की धारा 18 खंड (बी) की व्याख्या करते हुए आयकर से छूट प्रदान की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपने अधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और परिलब्धियों के संबंध में, यह माना गया कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 के तहत, वेतन को पेंशन शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया था और यदि वेतन को कर से छूट दी गई थी तो पेंशन भी शामिल होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वास्तव में उक्त निर्णय के अनुपात को स्वीकार कर लिया और विभागीय अधिकारियों को परिपत्र संख्या 293 दिनांक 10 फरवरी, 1981 जारी करके इस संबंध में अपने निर्णय की सूचना दी। चूंकि विभाग ने, उपरोक्त परिपत्र के बावजूद, दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित एक संदर्भ को वापस नहीं लिया था, इसलिए उक्त उच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के बाद निर्धारिती-पेंशनभोगी के पक्ष में उक्त संदर्भ का उत्तर दिया (देखें) इस संबंध में आयकर आयुक्त, दिल्ली-1 बनाम डॉ. पी.एल. नरूला) (1984) 150 आई.टी.आर. 21
- 24) किसी भी मामले में जहां एक कर कानून के संबंध में दो व्याख्याएं संभव हैं, न्यायिक सर्वसम्मति उस व्याख्या को स्वीकार करने के पक्ष में है जो निर्धारिती के पक्ष में है।
- 25) उपर्युक्त कारणों से, मैं प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में देता हूं, अर्थात्, निर्धारिती के पक्ष में और राजस्व के विरुद्ध। मैं रुपये 500 की अनुमति देता हूं। राजस्व द्वारा भुगतान की जाने वाली लागत के माध्यम से।

### एच.एस.बी.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा